HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

WPC No. 1526 of 2014

- 1. Surendra Kumar S/o Banmali Singh Sidar Aged About 46 Years R/o Village Aamgaon, Tehsil Tamnar, Police Station Tamnar, District Raigarh, Chhattisgarh
- 2. Satish Chandra Behra S/o Nityanand Behra Aged About 45 Years R/o Village Jhikabahal, Tamnar, Police Station Tamnar, District Raigarh, (C.G.)

---- Petitioners

Versus

- 1. State Of Chhattisgarh Through Secretary, Department Of Mineral Resources, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Naya Raipur, Post Office & Police Station Naya Raipur, Dist Raipur, Chhattisgarh
- 2. Chhattisgarh Mineral Develoment Corporation Limited, Through Secretary, Village Purena, Sonakhan Bhawan, Ring Road No.1, Raipur, Chhattisgarh
- 3. Collector, District Raigarh, (C.G.)

---- Respondents

For petitioners – Shri Malay Shrivastava, Advocate.

For State/respondents No.1 and 3 – Smt. Richa Shukla, Dy.G.A.

For respondent No.2- Shri Ramakant Mishra, Advocate.

Hon'ble Shri Justice Goutam Bhaduri Order

30/06/2021

Heard.

1. Grievance of the petitioners is that the petitioner No.1 owns certain land and he is in possession of the land situated at village Aamgaon bearing khasra No.51/4 and 142/3 admeasuring 0.323 hectares and 0.202 hectares and total area is of 0.525 hectares. Likewise the petitioner No.2 owns land at village Jhikabahal bearing khasra No.124/2 Gha and 127/1G admeasuring 0.361 hectares. It is contended that the petitioners belong to schedule tribe category and as per section 165(6) of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 the permission was sought to be obtained from the Collector before selling the land. It is stated as petitioners needed money they intended to sell the land. The said application having been filed, the same was rejected on the ground that two letters dated 26/02/2010 and

7/07/2010 whereby the direction have been issued to the Collector to prohibit the sale, construction, raising of superstructure over the clusters of land on the ground that the prospecting licence for mining on the land has been issued to Chhattisgarh Mineral Development Corporation as a coal block and lands of the petitioners are also enveloped in it.

- 2. Learned counsel for the petitioners would submit that in lieu of the subsequent development since the coal block allocation itself was cancelled by the Hon'ble Supreme Court whereby the allocation of Chhattisgarh Mineral Development Corporation Limited was also cancelled, the bar which was created earlier by the communication dated 18/07/2014 has been automatically diluted. Therefore the Collector may be directed to consider the case afresh to grant permission for sale of the land to the petitioners.
- 3. The letter dated 18/07/2014 (Annexure P-1) whereby permission was refused addressed to the petitioners reads as under:-

कार्यालय कलेक्टर रायगढ़ छत्तीसगढ़

ज्ञापन

क्रमांकः ४५६१ / भू—अर्जन / २०१४ प्रति.

रायगढ़ दिनांक 18/7/2014

- श्री सुरेन्द्र कुमार पिता बनमाली सिंह सिदार, ग्राम आमगावं तहसील तमनार जिला रायगढ
- श्री सतीश चन्द्र बेहरा पिता नित्यानंद बेहरा ग्राम झिंकाबहाल तहसील तमनार जिला रायगढ़

विषयः— भूमि विक्रय की अनुमित बाबत आवेदन पत्र। आवेदक श्री सुरेन्द्र कुमार पिता बनमाली सिंह सिदार, ग्राम आमगावं तहसील तमनार जिला रायगढ़ तथा श्री सतीश चन्द्र बेहरा पिता नित्यानंद बेहरा ग्राम झिंकाबहाल तहसील तमनार जिला रायगढ़ का आवेदन दिनांक 17.7.2014

सन्दर्भ:- आपका आवेदन दिनांक 17.7.2014

उपरोक्त विषयांतगर्त आपके द्वारा तहसील तमनार के ग्राम आमगांव स्थित भूमि ख0 नं0 51/4 एवं 142/3 रकबा क्रमशः 0.323 हे0 एवं 0.202 हे0 कुल 0.525 हे0 तथा ग्राम झिंकाबहाल की भूमि ख0नं0 124/2 घ व 127/1ग कुल रकबा 0.361 हे0 को विक्रय किये जाने की अनुमित दिये जाने का निवेदन किया गया है।

चूंकि आवेदन में वर्णित उक्त ग्रामों की भूमि गारे पेलमा सेक्टर—1 कोल ब्लाक अंतगर्त छ०ग० मिनरल डेव्हल. कार्पो. लिमिटेड के ऐरिया होने के कारण सचिव छ०ग० शासन खनिज साधन विभाग के पत्र क्रमांक 276 दिनांक 26.2.2010 तथा सचिव छ०ग० शासन खनिज साधन विभाग व संचालक सी०एम०डी०सी० रायपुर के पत्र क्रमांक 423 दिनांक 7.7.2010 के अनुसार उक्त क्षेत्र अंतगर्त भूमि पर किसी प्रकार का स्थायी निर्माण, नव निर्माण हेतु डायव्हर्सन की अनुमित, जमीनों की खरीद बिक्री व नामांतरण पर रोक लगाई गई है, इस कार्यालय द्वारा अनुमित दिया जाना संभव नहीं है। अनुमित के लिये शासन के खनिज विभाग में आवेदन किया जा सकता है।

4. The earlier letter, whereby such prohibition was imposed is dated 7/07/2010 (Annexure P-10) addressed to the Collector reads as under:-

क्रमांक— ४२३ / संचालन / सीएमडीसी / २०१० प्रति,

रायपुर दिनांक 7.7.2010

कलेक्टर रायगढ़, (छत्तीसगढ़)

विषय:— सी0एम0डी0सी0 को जिला रायगढ़ में गारे—पेलमा सेक्टर—1 कोल ब्लॉक हेतु स्वीकृत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति क्षेत्र में मेसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड द्वारा किये जा रहे अवैध उत्खनन पर कार्यवाही बाबत्।

उपयुक्त विषय में कृपया सी०एम०डी०सी० के झींकाबहाल शिविर प्रभारी श्री पी०सी० चन्द्रा जुनियर फोरमेन के पत्र दिनांक 29.06.2010 जो कि आपको सम्बोधित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री चन्द्रा ने अवगत कराया है कि मेसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड द्वारा सी०एम०डी०सी० को स्वीकृत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति क्षेत्र में अवैध उत्खनन किया जा रहा है तथा जमीनों की खरीदी भी की जा रही है।

कृपया इस संदर्भ में सचिव छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग के पत्र दिनांक 26.02.2010 का भी अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से आपको सी0एम0डी0सी0 को आबंटित गारे—पेलमा सेक्टर—1 कोल ब्लॉक के उपर खिन रियायत स्वीकृत न करने, किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण तथा नव निर्माण हेतु डायवर्सन की अनुमित प्रदान न करने व जमीनों की खरीदी—बिक्री एवं नामान्तरण पर प्रतिबंध लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।

2/ कृपया प्रभारी शिविर झिंकाबहाल की शिकायत पर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें साथ ही सी0एम0डी0सी0 को आंबटित गारे—पेलमा सेक्टर—1 कोल ब्लॉक के उपर खिन रियायत स्वीकृत न करने, किसी भी प्रकार की स्थायी निर्माण तथा नव निर्माण हेतु डायवर्सन की अनुमित प्रदान न करने तथा जमीनों की खरीदी—बिक्री एवं नामान्तरण पर प्रतिबंध लगाये जाने हेतु तत्काल संबंधितों को निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करे।

(एस०के० बेहार) प्रबंध संचालक

रायपुर दिनांकः 03.03.2015

- 5. Reading of the said letter would show that the land since belong to Chhattisgarh Mineral Development Corporation as such as per the communication dated 26/02/2010 and 7/07/2010 no superstructure nor any diversion for sale and mutation of the name were allowed. Consequently, the application preferred by the petitioners were dismissed seeking permission to sell the land.
- 6. Subsequently, alongwith the reply of the respondent No.2 Chhattisgarh Mineral Development Corporation a letter has been enclosed dated 3/03/2015 Annexure R-2 which reads as under:-

क्रमांक-1458 / सीएमडीसी / 2015

प्रति,

सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :— छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. (सी.एम.डी.सी.) को आबंटित गारे—पेलमा सेक्टर—1 कोल ब्लॉक रकबा 63.183 वर्ग कि.मी. के अंतगर्त किसी भी आवेदक को खिन रियायत स्वीकृत न करने, स्थाई निर्माण तथा नवनिर्माण की अनुमित प्रदान न करने एवं जमीनों की खरीदी—बिक्री तथा नामांतरण पर प्रतिबंध लगाने बाबत्।

- संदर्भ :- 1. सी.एम.डी.सी. के पत्र दिनांक 09.10.2007, 20.03.2008, 18.11.2009 तथा 24.02.2010 (संलग्न है)।
 - 2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग का अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 276 दिनांक 26.02.2010 (संलग्न है)।
 - 3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घरघोड़ा का पत्र क्रमांक 283 / वाचक—1 / 2010, घरघोड़ा दिनांक 27.02.2010 (संलग्न है)।

उपर्युक्त विषय में संदर्भ क्रमांक—1 में उल्लिखित सी.एम.डी.सी. के पत्रों के माध्यम से सी.एम. डी.सी.द्वारा सचिव, खनिज साधन विभाग/कलेक्टर, रायगढ़ को सी.एम.डी.सी. को आबंटित गारे—पेलमा सेक्टर—1 कोल ब्लॉक रकबा 63.183 वर्ग कि.मी. के अंतगर्त किसी भी आवेदक को खिन रियायत स्वीकृत न करने, स्थाई निर्माण तथा नवनिर्माण की अनुमित प्रदान न करने एवं जमीनों की खरीदी—बिक्री तथा नामांतरण पर प्रतिबंध लगाने हेतु अनुरोध किया गया था।

- 2/ सी.एम.डी.सी. को उल्लिखित अनुरोध पर संदर्भ क्रमांक—2 में उल्लिखित पत्र के माध्यम से सचिव, खिनज साधन विभाग द्वारा कलेक्टर रायगढ़ को सी.एम.डी.सी. को आबंटित गारे—पेलमा सेक्टर—1 कोल ब्लॉक रकबा 63.183 वर्ग कि.मी. के अंतगर्त किसी भी आवेदक को खिन रियायत स्वीकृत न करने, स्थाई निर्माण तथा नविनर्माण की अनुमित प्रदान न करने एवं जमीनों की खरीदी—बिक्री तथा नामांतरण पर प्रतिबंध लगाने हेतु निर्देशित किया गया था।
- 3/ सचिव, खनिज साधन विभाग के उक्त पत्र के परिपालन में संदर्भ क्रमांक—3 में उल्लिखित पत्र के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घरघोड़ा द्वारा सी.एम.डी.सी. को आबंटित गारे—पेलमा सेक्टर—1 कोल ब्लॉक रकबा 63.183 वर्ग कि.मी. के अंतगर्त किसी भी आवेदक को खिन रियायत स्वीकृत न करने, स्थाई निर्माण तथा नवनिर्माण की अनुमित प्रदान न करने एवं जमीनों की खरीदी—बिकी तथा नामांतरण पर प्रतिबंध लगाने की सूचना कार्यपालक निदेशक, जिन्दल पॉवर एण्ड स्टील लि. तथा कलेक्टर रायगढ़ एवं तहसीलदार, तमनार को दी गई है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.08.2014 एवं 24.09.2014 के अनुपालन में सी.एम.डी.सी. को आबंटित गारे—पेलमा सेक्टर—1 कोल ब्लॉक का आबंटन निरस्त हो चुका है, अतः अनुरोध है कि पत्र दिनांक 26.02.2010 के माध्यम से गारे—पेलमा सेक्टर—1 कोल ब्लॉक रकबा 63. 183 वर्ग कि.मी. के अंतगर्त किसी भी आवेदक को खिन रियायत स्वीकृत न करने, स्थाई निर्माण तथा नविर्माण की अनुमित प्रदान न करने एवं जमीनों की खरीदी—बिक्री तथा नामांतरण पर प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश को निरस्त करने हेतु आवश्यक निर्देश संबंधितों को प्रसारित करने का अनुरोध है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(अन्ब्लगन पी.) प्रबंध संचालक

7. Reading of the said letter would show that since the cancellation of the coal block has been made by the Hon'ble Supreme Court. In a result the allocation of land to Chhattisgarh Mineral Development Corporation was also cancelled. The

earlier restriction for any sale, diversion etc. by letter dated 7/07/2010 was imposed

for the reason that allocation of coal block was made which had enveloped the

lands of petitioners. Since the initial allotment of coal block was cancelled the

restriction imposed for sale, diversion, construction was ipso facto came to an end

which is fortified by subsequent letter dated 03/03/2015 issued by State. Therefore

the earlier restriction which was imposed by 26/02/2010 in respect of the land of

the Garepelma coal block admeasuring 63.183 square kilometer stands diluted

and communication was directed to be made to the concerned revenue authorities.

8. In view of such communication, the Collector would be required to

reconsider the application of the petitioners filed under Section 165(6) of the

Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 afresh. Accordingly, it is ordered that the

Collector shall decide the application of the petitioners moved under section 165(6)

of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 afresh. Since considerable time

has passed, the petitioners shall be at liberty to file a fresh application before the

Collector alongwith the copy of the letter and the copy of the communication which

are part of this writ petition to apprise the fact. Thereafter, the Collector shall decide

the case on its own merit on the basis of the existing new facts, if any, while

adjudication of the said application.

9. With such observation, the petition stands disposed of.

Sd/-

(Goutam Bhaduri)

JUDGE

gouri